



प्रो० बी.एस.मीणा  
अधिष्ठाता

**कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर-335 001**  
**College of Agriculture, Sriganganagar-335 001**  
(Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University,  
Bikaner)

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

Ph. 0154-2941619(0)  
E-mail: [coasgnr@raubikaner.org](mailto:coasgnr@raubikaner.org)  
Mobile: 08764375302

क्रमांक एफ. /कृ०महा०/श्रीगंगा/एस०एस०/2026/728-29

दिनांक : 19-01-2026

निविदा सूचना

वर्ष 2025-26 में कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के छात्र-छात्राओं को राज्य व राज्य से बाहर शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक बस (52 सीटर) किराए पर करने हेतु नीचे लिखी शर्तों के अनुसार एक अल्पकालिन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अपनी पूर्ण भरी हुई निविदा अधोहस्ताक्षरता के कार्यालय में दिनांक 27.01.2026 दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत या डाक द्वारा पहुँचानी होगी। प्राप्त निविदा उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

शर्त :-

1. वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा आदि के कागजात पूर्ण होने चाहिये।
2. निविदादाता को 52 सीटर बस (साधारण व वातानुकूलित) की दरें अलग-अलग दर्शानी होगी।
3. वाहन चालक के पास लाईसेंस व साक्षर होना चाहिये वाहन चालक जो वाहन लेकर आ रहा है उसके लाईसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी उसके बाद उसका यात्रा प्रारम्भ हेतु भेजा जायेगा।
4. वाहन वर्ष 2020 से पुरानी नहीं होना चाहिये।
5. कि.मी. की गणना यात्रा पर रवाना होने के स्थान कार्यालय से मानी जायेगी। जिसका इन्द्राज लॉग बुक में करके वह अधिकारी के हस्ताक्षर का बिल के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करना होगा।
6. वाहन की लॉग बुक फार्म द्वारा वाहन चालक को उपलब्ध करवानी होगी। लॉग बुक का प्रारूप महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
7. वाहन यात्रा के दौरान बीच रास्ते में खराब होने की अवस्था में फर्म द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी और दूसरे वाहन का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. भुगतान हेतु पेन नं० बिल की दो प्रतियाँ मय वाहन का पंजीयन, बीमा व लॉग बुक की प्रति लगाकर प्रस्तुत करना होगा।
9. टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क का पुनर्भरण महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इस हेतु टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क की रसीद बिल के साथ संलग्न करनी होगी। यात्रा पर जाने वाले अधिकारी को टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
10. देय स्टेट टैक्स (राजस्थान से बाहर जाने पर) का पुनर्भरण विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित रसीद प्रस्तुत करने पर देय होगा।
11. निविदादाता को पूर्ण कार्यकाल के लिये जो दरे स्वीकृत की गई है, उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा। ईंधन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।
12. निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा व टेण्डर फार्म में किसी भी प्रकार की कटिंग व अधूरा मान्य नहीं होगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं और निविदादाता द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे पाबंद करने हेतु भी अधिकृत है।

  
(बी.एस.मीणा)  
अधिष्ठाता DEAN  
College of Agriculture  
Sri Ganganagar

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् वित्त नियन्त्रक/कोषाधिकारी, स्वाकेराकृवि, बीकानेर
- ✓ 2. श्रीमान् प्रभारी, सीमका को भेजकर निवेदन है कि इसे अपनी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा करें ।
3. नोटिस बोर्ड नगर परिषद, कृषि उपज मण्डी समिति/ यू.आई.टी, श्रीगंगानगर
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड/लेखा शाखा/चेयरमेन परचेज कमेटी/सदस्य, कृ०महा०, श्रीगंगानगर

  
( बी.एस.मीणा )  
अधिष्ठाता